न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 49/2024

अपीलार्थीगण

01. रामचन्द्र पुत्र श्री बालुराम
02. श्रीमती मंजु देवी पत्नी स्व. श्री श्यामलाल
03. देवेन्द्र पुत्र स्व. श्री श्यामलाल
04. नेमीचन्द पुत्र पुरखाराम
05. गणेशराम गहलोत पुत्र पुरखाराम
06. पतासी देवी पत्नी पुरखाराम

सभी निवासीगण – ग्राम गहलोतो का बास, गोलासनी तहसील व जिला जोधुपर

बनाम

प्रत्यर्थीगण

01. गणपतराम पुत्र बोराराम
02. अनिल गहलोत पुत्र अणदाराम
03. सुरेन्द्र गहलोत पुत्र अणदाराम
04. मीमा पत्नी स्व. श्री अणदाराम
05. हेमन्त कुमार गहलोत पुत्र संतोषराम उर्फ संतोकराम
06. अशोक कुमार पुत्र संतोषराम उर्फ संतोकराम
07. शिवसिंह पुत्र पुत्र संतोषराम उर्फ संतोकराम
08. देवी पत्नी संतोषराम उर्फ संतोकराम

    सभी निवासीगण– ग्राम गोलासनी, गहलोतो का बास, तहसील व जिला जोधपुर
09. श्रवण सिंह राजपुरोहित पुत्र कानसिंह, निवासी–280, रूप नगर प्रथम, पाल रोड जोधपुर
10. दयाल चौधरी पुत्र भंवरा राम निवासी–बालसमन्द, तहसील व जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध बंटवाडा आदेश कमांक/2004/2064 दिनांक 28.07.2004 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया

उपस्थिति –

01. अपीलार्थीगण की ओर से श्री बांकाराम अधिवक्ता उपस्थित

02. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 10 की ओर से श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित व श्री राजकमल दवे अधिवक्ता उपस्थित

03. प्रत्यर्थी संख्या 11 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

निर्णय दिनांक 04/7/25

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाडा आदेश क्रमांक/2004/2064 दिनांक 28.07.2004 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया के विरूद्ध निम्न आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट संख्या 1 एवं 2 से 6 के पिता/दादा पुरखाराम एवं रेस्पोरेंस संख्या 1 के पिता व 2 से 4 के दादा बोराराम तथा रेस्पोरेंस संख्या 4 से 6 व 7 के पिता एवं पति संतोषराम उर्फ संतोकराम के पिता बालुराम के नाम पैतृक खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 30 रकबा 37 बीघा एवम् खसरा संख्या 32 रकबा 20 बीघा कृषि भूमि कुल रकबा 57.19 बीघा कृषि भूमि वाके मौजा ग्राम गोलासनी पटवार हल्का बागा, भू० अ० निरीक्षक क्षेत्र जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है उक्त रकबा 57.19 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी वक्त सेटलमेंट यानि मिसल बन्दोबस्त अनुसार बालूराम पुत्र प्रताप जी जाति माली के नाम से थी, बालूराम के फौत होने से यह कृषि भूमि बोराराम, रामचंद्र, पुरखाराम, तथा संतोकराम उर्फ संतोष राम एवम् हीरादेवी बैवा बालूराम के नाम दर्ज हुई थी। हीरादेवी के फौत होने से एवम् बालूराम की दो जायन्दा पुत्रीया द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा बोराराम, रामचन्द्र पुरखाराम एवम् संतोषराम उर्फ संतोकराम के पक्ष में हकत्याग कर देने से बालूराम के चारो पुत्रो के यानि प्रत्येक जायन्दा पुत्र के हिस्से में कुल रकबे का 1/4 हिस्सा आया यानि रकबा 14.4 बीघा भूमि आती है लेकिन अपीलान्ट के भाई बोराराम एवम संतोकराम द्वारा कहा गया कि अपने नाम सहखातेदारी की कृषि भूमि अभी तक एक साथ है तथा कागजों मे विधिवत हिस्सा अलग नही होने से कई परेशानियां आ रही है मौके पर तो हिस्से अनुसार काबिज है लेकिन खाता अलग नहीं है खाता अलग करवा लिया जावे तथा जैसा उन दोनों भाईयों ने कहा वैसा ही किया गया तब बताया कि तहसील कार्यालय चलना पडेगा तब विश्वास कर तहसील कार्यालय जोधपुर गये ये लोग ही बंटवाडा बनाकर लाये और कहा कि आप यहां हस्ताक्षर कर देवे जैसा कहा वैसा ही कर उक्त बंटवाडे पर हस्ताक्षर कर दिये गये जिसके

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

आधार पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा यह गलत बंटवाडा स्वीकार कर लिया गया उक्त सहमति से किये गये बंटवाडे के अनुसार जितना हिस्सा आना चाहिए था उतना न देकर अपीलान्ट्स को 4–4 बीघा भूमि कम देते हुए बंटवाडा करवाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा करवा लिये जाने से बंटवाडा आदेश दिनांक 28–4–2004 कानूनी रूप से गलत एवम् विधि बाधित होने से काबिल निरस्त फरमाये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल कारित की है। अपीलाधीन बंटवाडे आदेश में वर्णित भूमी पैतृक सहखातेदारी की बहिस्सा बराबर बराबर भूमि में प्रत्येक खातेदार का हक व हिस्सा आता है तथा कुल रकबा 57.19 बीघा में 1/4 हिस्सा प्रत्येक भाई को आता है लेकिन खेत खसरा संख्या 30/3 रकबा 37.19 बीघा को चार बराबर बराबर भागों में विभाजित कर बंटवाडा करने का कथन करके तहसील कार्यालय मे गये थे अपीलान्ट ज्यादा पढा लिखा नही होकर मात्र अपना नाम ही लिख सकता है ऐसी स्थिति में हमारे परिवार के कर्ता खानदान बोराराम एवम् संतोकराम द्वारा जैसा करने को कहा गया वैसा ही अपीलान्ट द्वारा किया साथ ही भाईयों एवम् चाचा, ताउ पर भरोसा भी किया गया जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलान्ट्स संख्या एक को खसरा संख्या 32 रकबा 10 बीघा दी गई तथा अपीलान्ट संख्या 2 को भी खसरा संख्या 32 रकबा 10 बीघा भूमि ही दी गई शेष रकबा 4.4 बीघा जो खसरा संख्या 30/3 में से मिलनी थी वो बोराराम व संतोकराम ने अपने नाम रकबा 19 बीघा एवं रकबा 18.19 बीघा रख ली गई इस तथ्य को वक्त बंटवाडा में छुपाया गया था इस कारण उसी बटवाडानुसार नामान्तरकरण संख्या 216 स्वीकार कर भूमि खाते में दर्ज कर दी गई तथा खसरा संख्या 30/3 रकबा 37.19 बीघा में से जो हिस्सा तकरीबन अपीलान्टत को आता है उक्त हिस्से को अपीलान्ट्स को बिना बताये आगे बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 10 को कर दिया गया है जबकि कि बंटवाडा प्रथम दृष्टया ही गलत एवम् छल व कपट से किया गया होने इत्यादि के कथन करते हुए बंटवाडा निरस्त करने का निवेदन किया गया साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा एक अपील माननीय हाजा न्यायालय मे प्रस्तुत की जिसमें सफलता मिलने की प्रबल सम्भावना है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील वास्ते तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित बंटवाडा आदेश दिनांक 28–7–2004 जो राजस्व ग्राम गोलासननी के खसरा नं0 30/3 रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नं0 32 रकबा 20 बीघा कुल 57.19 बीघा का बंटवाडा किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया, उक्त बटवाडा आदेश की जानकारी प्रार्थी को हाल ही के दिनो में जब रेस्पोडेन्ट सं० 9 व 10 द्वारा मौके पर लाईट आदि का कनेक्शन लेने पर मालूम हुआ कि उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से है क्योंकि प्रार्थी शुरू से ही इस विश्वास में

रहा कि जितने रकबे पर कब्जा है उतना ही रकबा खाते में दर्ज होगा लेकिन प्रार्थी कम पढा लिखा होने के कारण विवादग्रस्त बंटवाडा एवं बंटवाडे के तहत किये गये आदेश की जानकारी नहीं कर पाया, राजस्व दस्तावेज की नकल मिलने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद मानी जाकर देरी को क्षमा कर अपील का गुणाव गुण पर निस्तारण फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया कि यह कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बंटवाडा आदेश दिनांक 28.07.2004 के विरूद्ध सन् 2023 में अपील प्रस्तुत की है जो उक्त आदेश पारित करने के 19 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जबकि उक्त बंटवाडा पर अपीलार्थी संख्या 1 रामचन्द्र एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पति व 3 के पिता श्यामलाल तथा अपीलार्थी संख्या 4 नेमीचन्द, अपीलार्थी संख्या 5 गणेशराम व अपीलार्थी संख्या 6 पतासी के अन्य सह खातेदारों के साथ हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान है यानि अपीलार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से राजी खुशी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाडा करवाया जाकर बंटवाडा आदेश पारित करवाया गया जिससे साफ जाहिर है कि अपीलार्थीगण की अपील बहुत ही मजबूत आधारों व ठोस तथ्यों पर नहीं हो सकती, उक्त अपील को देखने मात्र से ही स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को मात्र तंग व परेशान करने की गरज से व खरीदकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 9 व 10 को ब्लैक मेल कर मोटी रकम हडपने की नियत से उक्त अपील 19 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो विधि के तहत किसी भी रूप से उक्त देरी कण्डोन की जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस बंटवाडा आदेश की जानकारी नहीं होने के कथन किये है उक्त बंटवाडा आदेश अपीलार्थीगण द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपने स्वयं के हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान कर पूर्ण सहमति से पारित करवाया गया है तथा उक्त मूल आदेश के साथ नक्शा भी संलग्न है जिसमें सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान है जिसकी पहचान हल्का पटवारी ने की तथा उसके बाद तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि म्याद के बाबत् देरी के एक–एक दिन को स्पष्ट करना पड़ता है तथा अपील पेश करने में असाधारण विलम्ब को उचित रूप से एवं संतोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किये जाने पर मात्र सहानुभूति के आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नहीं कर सकेगा असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये जाने पर किसी भी रूप से विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता अतः अपील म्याद बाहर होने से इसी स्तर पर काबिले खारिज होने से खारिज फरमाई जावे। साथ ही प्रत्यर्थीगण की ओर से दस्तावेजात पेश किये गये।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में वर्णित आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि बंटवाडा आदेश दिनांक 28–4–2004 कानूनी रूप से गलत एवम् विधि बाधित होने से काबिल निरस्त फरमाये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल कारित की है अपीलाधीन बंटवाडे आदेश में वर्णित भूमी पैतृक सहखातेदारी की बहिस्सा बराबर बराबर भूमि में प्रत्येक खातेदार का हक व हिस्सा आता है तथा कुल रकबा 57.19 बीघा में 1/4 हिस्सा प्रत्येक भाई को आता है लेकिन खेत खसरा संख्या 30/3 रकबा 37.19 बीघा को चार बराबर बराबर भागों में विभाजित कर बंटवाडा करने का कथन करके तहसील कार्यालय मे गये थे अपीलान्ट ज्यादा पढा लिखा नही होकर मात्र अपना नाम ही लिख सकता है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट परिवार के कर्ता खानदान बोराराम एवम् संतोकराम द्वारा जैसा करने को कहा गया वैसा ही अपीलान्ट द्वारा किया साथ ही भाईयों एवम् चाचा, ताउ पर भरोसा भी किया गया जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलान्ट्स संख्या एक को खसरा संख्या 32 रकबा 10 बीघा दी गई तथा अपीलान्ट संख्या 2 को भी खसरा संख्या 32 रकबा 10 बीघा भूमि ही दी गई शेष रकबा 4.4 बीघा जो खसरा संख्या 30/3 में से मिलनी थी वो बोराराम व संतोकराम ने अपने नाम रकबा 19 बीघा एवं रकबा 18.19 बीघा रख ली गई तथा नामान्तरकरण संख्या 216 स्वीकार कर भूमि खाते में दर्ज कर दी गई तथा खसरा संख्या 30/3 रकबा 37.19 बीघा में से जो हिस्सा तकरीबन अपीलान्ट को आता है उक्त हिस्से को अपीलान्ट्स को बिना बताये आगे बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 को कर दिया गया है जबकि कि बंटवाडा प्रथम दृष्टया ही गलत एवम् छल व कपट से किया गया। ऐसा कोई आदेश या बंटवाडा प्रस्ताव जिसमें तय विधि के सिद्धान्तों को दरकिनार कर घोर अन्याय किया जाकर किसी व्यक्ति के हितों को खत्म करने का प्रयास करते हुए पारित करवाया गया हो वहां चाहे जाने–अनजाने की सहमति हो तथा समय बीत जाने के बाद भी निरस्त करवाया जा सकता है हस्तगत प्रकरण मे अपीलान्ट के साथ छल कपट से अपीलान्ट्स तकरीबन 8 बीघा भूमि हडपने का कृत्य किया गया इसलिए अपीलाधीन बंटवाडा आदेश विधिक अवधारणा के विपरीत घोषित किया जाकर निरस्त फरमाया जावे कि अपीलान्ट को मात्र एक ही खसरे यानि खसरा संख्या 32 रकबा 10 बीघा, 10 बीघा ही दिया गया है खसरा संख्या 30/3 रकबा तकरीबन 9 बीघा आता है उक्त रकबा रेस्पोडेन्टस ने अपने नाम करवा लिया गया जो रेस्पोडेन्ट का नाम है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि सहखातेदारी भूमि मे प्रत्येक सहखातेदार का खातेदारी भूमि के प्रत्येक खसरे के रकबे पर हक हिस्सा होगा व रहेगा अपीलान्ट को खसरा संख्या 30/3 में मिलने वाला हिस्सा किस आधार पर रद्दोबदल करते हुए खाते से बाहर कर रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 8 तक के

नाम दर्ज है अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार फरमाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाया जाकर अपील के गुणाव गुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई फरमाई जाकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवम उक्त आदेश के पश्चात की तमाम कार्यवाही एवम् इन्द्राज को निरस्त फरमाया जाने का आदेश पारित किया जावे।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बंटवाडा आदेश दिनांक 28.07. 2004 के विरूद्ध सन् 2023 में अपील प्रस्तुत की है जो उक्त आदेश पारित करने के 19 वर्षं बाद प्रस्तुत की है जबकि उक्त बंटवाडा पर अपीलार्थी संख्या 1 रामचन्द्र एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पति व 3 के पिता श्यामलाल तथा अपीलार्थी संख्या 4 नेमीचन्द, अपीलार्थी संख्या 5 गणेशराम व अपीलार्थी संख्या 6 पतासी के अन्य सह खातेदारों के साथ हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान है यानि अपीलार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से राजी खुशी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाडा करवाया जाकर बंटवाडा आदेश पारित करवाया गया जिससे साफ जाहिर है कि अपीलार्थीगण की अपील बहुत ही मजबूत आधारों व ठोस तथ्यों पर नहीं हो सकती, उक्त अपील को देखने मात्र से ही स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को मात्र तंग व परेशान करने की गरज से व खरीदकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 9 व 10 को ब्लैक मेल कर मोटी रकम हडपने की नियत से उक्त अपील 19 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो विधि के तहत किसी भी रूप से उक्त देरी कण्डोन की जाने योग्य नहीं है। अतः अपील म्याद बाहर होने से इसी स्तर पर काबिले खारिज होने से खारिज फरमाई जावे, अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आदेश की जानकारी हाल ही दिनों में प्रत्यर्थी संख्या 9 व 10 द्वारा मौके पर लाईट आदि का कनेक्शन लेने पर मालूम होने के कथन किये है जबकि उक्त जानकारी की दिनांक वर्ष व महिना अंकित नहीं किया है और अपीलार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन आदेश की हाल ही जानकारी होने के किये गये कथन सरासर झूठ व कपोल कल्पित है, क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा जिस बंटवाडा आदेश की जानकारी नहीं होने के कथन किये है उक्त बंटवाडा आदेश अपीलार्थीगण द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपने स्वयं के हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान कर पूर्ण सहमति से पारित करवाया गया है तथा उक्त मूल आदेश के साथ नक्शा भी संलग्न है जिसमें सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान है जिसकी पहचान हल्का पटवारी ने की तथा उसके बाद तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया तथा उक्त बंटवाडा के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 के मध्य भी अपने हक हिस्से में आई जमीन के बाबत प्रत्यर्थीगण द्वारा बंटवाडा करवाकर तरमीम करवा दी गई और उक्त तरमीम के पश्चात प्रत्यर्थी

संख्या 1 से 4 द्वारा खसरा संख्या 30/9 में से 3 बीघा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 9 व 10 को बेचान की जाकर पंजीबद्ध विकय विलेख निष्पादित करवाया गया जो उक्त बेचाननामा दिनांक 18.06.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1029, पृष्ठ संख्या 118, कम संख्या 202003053102585 पर उपपंजीयक जोधपुर के यहां पंजीबद्धसुदा है इसी तरह प्रत्यर्थी संख्या 5 से 8 के पिता व पति संतोषराम उर्फ संतोकराम द्वारा खसरा संख्या 30/7 की भूमि 4 बीघा 7 बिस्वा प्रत्यर्थी संख्या 9 व 10 को बेचान की जाकर पंजीबद्ध विकय विलेख निष्पादित करवाया गया जो उक्त बेचाननामा दिनांक 18.06.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्ख्या 1029, पृष्ठ संख्या 119, कम संख्या 202003053102586 पर उपपंजीयक जोधपुर के यहां पंजीबद्धसुदा है और उक्त बेचाननामों के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 9 व 10 का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 9 व 10 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि के बाबत वर्ष 2022 में सीमाकंन एवं पत्थरगढी हेतु श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो उक्त प्रार्थना पत्र व क्रॉस आब्जेक्शन माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.2022 को स्वीकार किया गया जिसकी पालना में माननीय तहसीलदार जोधपुर व राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2022 में ही मौके पर नाप चौक करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 9 व 10 व अन्यो के हक हिस्से की भूमि पर नेकाबन्दी की गई और उसी अनुरूप प्रत्यर्थीगण अपने हक हिस्से पर बंटवाडा अनुसार काबिज है जो अपीलार्थीगण द्वारा दोनों पंजीबद्ध दस्तावेजात व नेकाबन्दी के आदेश दिनांक 19.05.2022 के बाबत माननीय न्यायालय से तथ्य छुपाते हुए जैरअपील आदेश के 19 वर्षों बाद झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जबकि जैर अपील आदेश अपीलार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर पारित करवाया गया है ऐसी स्थिति में किसी भी रूप से माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थीगण को 19 वर्षों तक उक्त बंटवाडा आदेश की जानकारी नहीं हुई हो, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि म्याद के बाबत् देरी के एक–एक दिन को स्पष्ट करना पड़ता है कि देरी का क्या कारण रहा, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर माननीय तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर वर्ष 2004 में बंटवाडा करवाया गया और उसी बंटवाडा आदेश की 05.07.2023 को जानकारी होने के कथन किये जो सरासर गलत व झूठ है। वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा होने के बाद प्रत्यर्थीगण के मध्य भी तरमीम होकर बंटवाडा हो चुका है और भूमि का आगे से आगे पंजीबद्ध बेचाननामो के आधार पर बेचान हो चुका है और बंटवाडा आदेश की अपीलार्थीगण को प्रारंभ से ही जानकारी रही है जो अपीलार्थीगण स्वयं द्वारा माननीय तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन मय नक्शा प्रस्तुत कर जैर अपील बंटवाडा आदेश पारित करवाया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण अपील प्रस्तुत करने हेतु

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

एस्टोप्स है, तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील पेश करने में असाधारण विलम्ब को उचित रूप से एवं संतोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किये जाने पर मात्र सहानुभूति के आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नहीं कर सकेगा। असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये जाने पर किसी भी रूप से विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। अपील एक फिस्कल प्रोसिडिंग होने से पक्षकारान् के अधिकार भी तय नहीं किये जा सकते है और अपीलार्थीगण द्वारा पंजीबद्ध दस्तोवजात को आज दिनांक तक सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा जैर अपील बंटवाडा आदेश के बाद पक्षकारान के मध्य तरमीम होकर पुनः विधिवत बंटवाडा हो जाने के कथन तथा प्रत्यर्थी संख्या 9 व 10 के खेत खसरा की माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पालना में पत्थरगडी इत्यादि हो जाने के तथ्य छुपाये गये है व माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई है तथा अपीलार्थीगण साफ हाथो से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है तथा अपीलार्थीगण ने गलत तथ्यों के साथ विलम्ब माफ करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि जैरअपील आदेश व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से भली भांति स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स को जैरअपील आदेश की पूरी जानकारी थी इसलिये अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा बंटवाडा अनुसार बंटवाडे में प्राप्त की गई भूमि उपजाउ थी तथा प्रत्यर्थीगण के पूर्वज बोराराम व संतोषराम उर्फ संतोकराम को पत्थरीली जमीन दी गई और इसी वजह से अपीलार्थीगण द्वारा उपजाउ जमीन होने के कारण कम रकबा प्राप्त किया गया परंतु जमीनों के वर्तमान में भाव बढ जाने से अपीलार्थीगण की नियत खराब हो गई है और पूर्ण सहमति से हुए बंटवाडे को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की है तथा अपीलार्थी संख्या 1, 4, 5 व 6 स्वयं के तथा अपीलार्थी संख्या 2 व 3 के पति व पिता श्यामलाल के बंटवाडा पर व बंटवाडा के सलंग्न नक्शे पर हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान है जिससे यह किसी भी रूप से माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थीगण को उक्त बंटवाडे की जानकारी नहीं रही हो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने के साथ ही अपीलार्थी की अपील मेरिट पर भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाई जाने का निवेदन करते हुए बहस के समर्थन में 2019 (1) CCC - 166 (S.C.) MOHD SAHID AND OTHERS VS. RAZIYA KHANAM (D) THR LRS AND ANOTHER व 2014 (11) SCC 351 (S.C.) BRIJESH KUMAR AND OTHERS VS. STATE OF HARYANA AND OTHERS पेश किये गये जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात व अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकोर्ड का अवलोकन किया

गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन कर अपील का गुणाव गुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है, परंतु विधि की यही मंशा रही है कि किसी प्रकरण को म्याद के बिन्दु पर खारिज करने के पूर्व उसे मेरिट पर भी परीक्षण कर लेना चाहिए उक्त विधि की पालना में प्रकरण के गुणाव गुण पर बहस सुन प्रकरण के गुणाव गुण पर बल होने के बाबत पूर्ण रूप से अवलोकन किया गया जिसमें यह तथ्य निर्विवादित है कि अपलाधीन बंटवाडे पर अपीलार्थी संख्या 1, 4, 5 व 6 तथा अपीलार्थी संख्या 2 व 3 के पति व पिता स्व. श्यामलाल के साथ साथ सभी सह खातेदारों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ के निशान है तथा पत्रावली पर उपलब्ध मूल आपसी सहमति बंटवाडा का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त बंटवाडा तहसीलदार के समक्ष सभी सह खातेदारो की उपस्थिति में पेश किया गया है। मूल बंटवाडा आदेश के साथ नक्शा भी संलग्न है जिसमें सभी सह खातेदारो के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ है तथा जिसकी पहचान हल्का पटवारी ने की तथा उसके बाद उसे तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा उक्त बंटवाडा के साथ सभी खातेदारो द्वारा नक्शा व बंटवाडा हेतु स्टाम्प प्रस्तुत किया गया है जिस पर सभी खातेदारो के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान है उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होना पाई जाती है साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से साफ जाहिर है कि आदेश की अपीलान्टस को पूरी जानकारी प्रारंभ से ही रही है तथा अपीलार्थीगण द्वारा असाधारण लगभग 19 वर्षो के विलम्ब को उचित, संतोषजनक, सही ढंग से व ठोस आधारो पर स्पष्ट नहीं किया है अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है व अपील अपीलान्टस म्याद बाहर होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 04/7/25 को खुल्ले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर